P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में खाद्य सुरक्षाः चुनौतियां एवं सम्भावनाएं

अनुभा श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
हे0नं0ब0रा0स्ना0महाविद्यालय,
नैनी, प्रयागराज, उ.प्र., भारत

सारांश

स्वातंत्र्योत्तर भारत की अनेक उपलब्धियों में से एक सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि कृषि क्षेत्र में होने वाला अमूल चूल परिवर्तन है। आजादी के समय जहां भारत अपनी जनसंख्या की भूख मिटाने के लिए विदेशों से अनाजों के आयात पर निर्भर था वहीं आज दुनिया भर में सर्वाधिक बड़े अन्न भण्डार के रूप में जाना जाता है। फिर भी यह भारत अपने लाखों लोगो को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहा है। बावजूद इसके की वर्ष 1947 से ही सबके लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अनेक सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम साल दर साल मनाये जाते रहे हैं। यहां तक की वर्ष 2013 में संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून पारित करके हर भारतीय नागरिक के भोजन पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी समाज के सबसे कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी है। इक्कीसवीं शताब्दी में विकास में सभी दावे तब तक निरर्थक है जब तक की वह गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं करते निश्चित रूप से देश की सवा सौ करोड़ की आबादी को खाद्यान्न मुहैया कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दिशा में सार्थक कदम उठाकर ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

मुख्य शब्द : खाद्य उपलब्धता, खाद्य भण्डारण, खाद्य अवशोषण, खाद्य असुरक्षा, न्यूट्रिशियन, डायटिशियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, मानवकृत पर्यावरण।

प्रस्तावना

सम्पूर्ण मानव जाति को इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार हैं और जीने के लिए पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा न केवल देश के नागरिको तक भोजन पहुंचाना है। वरन् भोजन द्वारा उचित मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता भी है। अपने जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्धारित मात्रा में पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी जरूरी है कि भोजन की जरूरत नियत समय पर पूरी हो।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) का अनुच्छेद 25(1) कहता है कि ''हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार का बेहतर जीवन स्तर बनाने, स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े और आवास की सुरक्षा शामिल है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा पहले विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है, जिसमें सब लोगो को अपनी आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो और सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए अपनी पसन्द का ऐसा भोजन प्राप्त करना उनके लिए भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि से संभव हो।[1]

कृषि वैज्ञानिक प्रो0एम0एस0 स्वामीनाथन ने ''ग्रामीण भारत मे खाद्य असुरक्षा की स्थिति'' नामक रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा के तीन तत्व बतायें है–

1. खाद्य उपलब्धता–जो कि खाद्य उत्पादन और आयात पर निर्भर करता है।
2. खाद्य पहुंच–जो कि लोगो की क्रय शक्ति पर निर्भर करती है।
3. खाद्य अवशोषण–जो कि सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर निर्भर करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि हैं इसके बावजूद भी भारत में कृषि की भूमिका तेजी से घट रही है। भारत की कृषि आज चौतरफा चुनौतियों से घिरी हुयी है। कृषि उत्पाद और कृषि भूमि दोनों में गुणात्मक ह्रास दिखाई दे रहा है। पूरे देश में कृषि का स्वरूप एक समान नही है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार खाद्यान्न् की उत्पादकता में अन्तर मिलता है साथ ही जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा, अकाल एवं अनावृष्टि जैसी

प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ मानवकृत पर्यावरण प्रदूषण भी कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

भारत में हरित क्रान्ति ने हमें खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भर तो बना दिया किन्तु साथ ही किसानों को नकदी फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन फसलों की ओर झुकाव बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न् उत्पादन घटने से खाद्य असुरक्षा और भुखमरी पैदा होने लगी। विश्व बैंक की ही रिपोर्ट मानती है कि मंहगे कीमत वाले फसलों की मांग बढ़ी है जबकि भोजन के लिए जरूरी फसलों का उत्पादन घटा है। सरकार भी खाद्य फसलों की तुलना में अखाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करती है। परिणामतः देश में खाद्यान्न् उत्पादन के उच्च स्तर कों प्राप्त करने के लिए तथा बढ़ती हुयी आबादी की भूख मिटाने के लिए कृषि भूमि का शोषण होने लगा। उस पर अधिक से अधिक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। फलस्वरूप अनाज की पौष्टिकता खत्म होती चली गयी। मोटे अनाजों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता पिछले चार दशकों से लगातार घटी है। साथ ही इन अनाजों के मूल्य लगातार बढ़ रहे है।

आज हम खाद्य उत्पादन में जिस वृद्धि की बात करते है। उसका सीधा सम्बन्ध समाज की खाद्य सुरक्षा की स्थिति से नहीं है। देश के खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुयी हैं उसमें गैर खाद्यान्न पदार्थो जैसे तेल, शक्कर, दूध, मांस, अण्डे, सब्जियां और फल का हिस्सा कुल उपभोग का 60 फीसदी है। ऐसी स्थिति में यदि हम चाहते है कि लोगों तक खाद्य पदार्थों की सहज पहुंच हो तो इन गैर खाद्यान्न् पदार्थो के बाजार को नियंत्रित करना होगा यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1951 से अब तक देश के खाद्यान्न् उत्पादन में 5 गुना बढ़ोत्तरी हुयी हैं पर गरीब की खाद्य सुरक्षा अभी सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

खाद्यान्न् उत्पादन में ठहराव की प्रवृत्ति तथा जनसंख्या वृद्धि से खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ गयी है। आधार भूत कृषि संसाधनों की लागत में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन की कीमतें, कृषि का व्यवसायीकरण, उपभोग के ढांचे में बदलाव और फसल उत्पादन के ढांचे में बदलाव के कारण अपने जीवन यापन के लिए खाद्यान्न की पौष्टिक आपूर्ति सुगमता से नहीं कर पा रहें है।

औद्योगिक विस्तार और आबादी बढ़ने के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है। जिस तरह से जंगलो का सफाया हो रहा है। तालाबों की भूमि पर भी नगरों का विकास हो रहा है। उससे कृषि उपज बढ़ने की चुनौती और भी गम्भीर होती जा रही है। 1984 तक खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। लेकिन आज यह दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं पीछे छूट गयी है।

खाद्यान्नों के मूल्य तेजी से बढ़ने का एक कारण बाजारवादी ताकतों का बढ़ता प्रभुत्व है। साठ के दशक में खेत में पैदा होने वाले खाद्यान्न की कीमत और उपभोक्ता तक पहुंचने पर उसकी कीमत के बीच 59 प्रतिशत का फर्क होता था। अब यह बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। खाद्यान्न की बढ़ती हुयी कीमते किसान के लिए अधिक पैसा बरसाने वाली होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बढ़ी हुयी कीमतो के प्रतिफल बिचौलियों और कम्पनियों ने लूटे जबकि आम आदमी को इन कीमतों की मार सहनी पड़ी। दरअसल खाद्य सुरक्षा का एक सिरा अगर गरीबों की रोटी से जुड़ता है तो दूसरा सिरा कृषि और किसानों से।[2]

खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा हमारी दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार से ग्रसित है योजना आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल सब्सिडी प्राप्त 42 प्रतिशत अनाज गरीबों तक पहुंचता है जबकि 58 प्रतिशत बिचौलियों, दलालों, और अन्य भ्रष्ट तत्वों के पास पहुंच जाता है। यद्यपि कि सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर भूख की समस्या का हल करने का प्रयास किया जाता रहा है।

गरीबी और भूख

भारत में गरीबी एक नासूर की तरह है और इन गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। यह एक चिन्ताजनक मुद्दा है कि जब किसानों एवं ग्रामीणों को उनकी खस्ता माली हालत के चलते भर पेट भोजन नहीं मिलता तो वे खाद्य उपलब्धता बढ़ाने में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते है। गरीब व बेसहारा लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय योजना, अन्न योजना, अन्नपूर्णायोजना, काम के बदले अनाज योजना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना सहित कई अन्य योजनाएं ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि करना है। बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए स्कूलों में दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की गई इसके साथ ही शिशु और प्रसूति कल्याण केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों में जच्चा–बच्चा और अन्य बच्चों कों पौष्टिक तत्व देने की व्यवस्था की गई है। इन सब के बावजूद अभी भी आदिवासी क्षेत्रों, शहरी झोपड़पट्टियों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी खाद्य सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

भारत का 1/3 भाग गरीबी रेखा से नीचे है, जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। गोदामों में रखा 5 करोड़ टन अनाज बिना गरीबों तक पहुंचे हुये सड़ जाता है। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के बनने के बावजूद भी सरकार के पास खाद्यान्न भण्डारण का पुख्ता इन्तजाम नहीं है। सरकारी गोदाम बहुत पुराने है। साथ ही उनकी भण्डारण क्षमता भी बहुत कम है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में समुचित व्यवस्था न होने और भण्डारण में बरती जाने वाली लापरवाही के चलते बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सड़ जाते है। जहां पर आम गरीब जनता भूख से मर रही हो वहां पर इस तरह खाद्य पदार्थो का गोदामों में सड़ जाना मन को विचलित कर देता है। सरकार अनाज की खरीददारी कर भारी सब्सिडी देती है ऐसे में अनाज खराब नहीं होना चाहिए आज भी अधिक उदारीकरण के दौर में गरीबी

उन्मूलन के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे है। नोबल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि अगर विकास दर बढ़ने से गरीबों को कोई लाभ नहीं होता तो इस तरह का विकास निरर्थक है।

कुपोषण एवं स्वास्थ्य

खाद्य सुरक्षा ने भारत के नागरिको के स्वास्थ्य पर एक गम्भीर असर डाला है तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के बावजूद हम देशवासियों की कुपोषण की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहें है। विश्व के 27 प्रतिशत कुपोषित लोग भारत में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 15.87 करोड़ बच्चे है जिसमें 8.29 करोड़ लड़के व 7.58 करोड़ लड़कियां है। भारत में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ नये बच्चों का जन्म होता है। इस हिसाब से भारत विश्व में सबसे अधिक बच्चों का देश है जहां विश्व का हर पांचवा बच्चा भारत में रहता है। अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बावजूद भारत विश्व के 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चों का देश है। जहां हर वर्ष 25 लाख बच्चे कुपोषण से मर जाते है। 21वीं शताब्दी के आरम्भ से देश में 22 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण के शिकार थें। बहुसंख्यक लोगो को भोजन में आवश्यक कैलोरी नहीं मिल पाती है। शहरी व्यक्तियों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण व्यक्तियों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है।[3] एक अध्ययन के अनुसार देश में 76 प्रतिशत परिवार या 84 करोड़ लोगो को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी का भोजन नहीं मिल पाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ0ए0ओ0) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23 करोड़ से अधिक लोग भूख के शिकार है।[4] भूख, गरीबी, कुपोषण, और रोजगार का एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है।

खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम

पहला विश्व खाद्य सम्मेलन वर्ष 1974 में सम्पन्न हुआ था उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने घोषणा की थी कि वर्ष 1984 तक वैश्विक भूखमरी समाप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद वर्ष 1996 में खाद्य सुरक्षा पर खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ0ए0ओ0) के सम्मेलन में यह प्रतिबद्धता जाहिर की गयी थी कि वर्ष 2015 तक भूखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या घटाकर आधी कर दी जायेगी[5] किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता के बगैर खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। खाद्य सुरक्षा का मकसद भूख और कुपोषण को दूर करना है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कृषि जोखिम कम करके खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नयी रणनीति बनायी जाये।

1. सरकारों को तत्काल निम्न आय समूह और संवेदनशील समूहों के लोगो के लिए दीर्घकालिक कुपोषण और न्यूनता के रोगो के विरूद्ध गम्भीर लड़ाई शुरू करनी चाहिए।
2. राष्ट्रीय कृषि नीति में सुधार कर तथा अन्य जैव तंत्रों को खाद्य कड़ी में जोड़ते हुये कृषि प्रणाली सुधार के द्वारा इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैविक कृषि भूमि के गिरते उर्वरा स्तर को स्थिर रखकर उसमें सुधार किया जा सकता है।
3. पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है।
4. खाद्य पदार्थो में मिलावट के विरूद्ध जनजागरण फैलाकर हम खाद्य सुरक्षा कर सकते हैं।
5. सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और कुशल बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों को और दृढ़ बनाना होगा।
6. भारत में 60 फीसदी मौतें खराब और असन्तुलित खाद्य पदार्थो की वजह से हो रही है। इनकी संख्या में कमी लाने और स्वस्थ भारत के लिए खाद्य पदार्थो की सही पैकेजिंग जरूरी है। हालांकि पैकेजिंग को लेकर कई नये नियम बनाये गये है। ताकि अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचते–पहुंचते खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता बनी रहे किन्तु इसकी भी कुछ सीमायें है।[6]
7. भारत में अभी तक खाद्य पदार्थो के नियम के लिए कोई समर्पित संस्था नहीं थी। यह काम भारतीय मानक संगठन, एगमार्क और कुछ पीएफए जैसे मंत्रालयों में बंटा हुआ था किन्तु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) बनने के बाद से लोगो को स्वच्छ एवं सन्तुलित आहार प्राप्त कराने के विषय में कई जागरूकता अभियान जैसे– ईट राइट इण्डिया, ईट फोर्टिफाइड, आज से थोड़ा कम आदि चलाये जा रहे हैं। इसमें चीनी, नमक और तेल का कम इस्तमाल करने के लिए लोगो को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा लोगो को जागरूक करने के लिए ''नेट्रोफेन नामक'' एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें डॉक्टरों के साथ न्यूट्रीशियन, डायटिशियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन और शेफ को जोड़ा गया है।[7]
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की सार्थकता तभी है। जब हम अनाज और जल्द खराब होने वाली जीन्सो के सुरक्षित गोदाम बनाने पर ध्यान दें साथ ही फलों, सब्जियों और दूध जैसे जींसो के संरक्षण को भी प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इस हेतु गोदामों के निर्माण पर पूँजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है।
9. एक अन्य चिन्ताजनक बिन्दु है पशुओं के चरने की जमीन का कम होना। इससे हमारे पशु भूखें रहते हैं। अतः मानव खाद्य सुरक्षा हेतु पशु खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है।
10. विश्व के तमाम देशों में खाद्य संकट से निपटने के लिए तथा घटते खाद्यान्न के कारण कुछ देशों ने अपने निर्यातों को या तो प्रतिबन्धित कर दिया अथवा निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2007–2008 में खाद्यान्न संकट आने पर वियतनाम ने चावल निर्यात को स्फीति की कमी का बहाना लेकर प्रतिबन्धित कर दिया था। भारतीय सरकार द्वारा भी ऐसे उपाय किए जा सकते है।

सरकार को यह ध्यान में रखना होगा की गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की योजनाओं में चंद लोग ही केन्द्रीयकरण की स्थिति में नहीं आने चाहिए बल्कि

योजनाओं का लाभ निर्धारित व लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए बिना किसी जाति व भेदभाव के।

अध्ययन का उद्देश्य

उपर्युक्त विषयक अध्ययन अति आवश्यक एवं सामयिक है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य हमें चिन्तन के इस बिन्दु पर लाकर खड़ा करना है कि उदारीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था के इस दौर में विकास अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की बात करें, देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात करें, या खाद्यान्नों के निर्यात की बात गर्व से करें लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते की। भारत के लाखों लोगो की भोजन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाये है। 70 के दशक में भी गरीबी हमारे लिए चिंताजनक और असहाय बनी हुयी है। राज्य का पहला कर्तव्य है कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना लेकिन एक न्यायपूर्ण और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब मानव जीवन की सबसे पहली जरूरत–भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में विषय का विश्लेषणात्मक व विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है। समस्या के सभी पहलुओं के विस्तृत विवेचनोपरान्त समीक्षात्मक रूप से निष्कर्ष दिया गया है।

निष्कर्ष

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की चर्चा करते हुये कहा था कि ''सभी इन्तजार कर सकते है लेकिन कृषि नहीं।'' हमारे देश में कृषि खाद्यान्न उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि अधिकांश जनसंख्या के लिए जीविका का साधन भी है। इसलिए हमें अपने ही पैदा किए हुये अनाज से अपनी आवश्यकता को पूरा करना होगा। आज भारत विकास के पथ पर तो है मगर सभी लोगो को भरपेट भोजन न मिले तो विकास की महत्ता घट जाती है। खाद्य उपलब्ध कराने का दायित्व भारत के कृषि एवं किसानों पर है किन्तु जब कृषि पिछड़ी हो और किसान की माली हालत खस्ता हो तो खाद्य सुरक्षा की यह चुनौती और भी बड़ हो जाती है। भारत की खुशहाली किसानों की खुशहाली के बिना सम्भव नहीं है। खाद्य सुरक्षा का मकसद् भूख और कुपोषण को दूर करना है। जो कृषि जोखिम कम करके और किसानों की हालत सुधारने हेतु आवश्यक एवं ठोस कदम उठाकर ही सम्भव है।

खाद्य सुरक्षा की सफलता खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न खरीद, खाद्य भण्डारण तथा वितरण दर पर निर्भर करेगी। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आ रहे ठहराव को तोड़ना होगा। पर्याप्त खाद्यान्न खरीद सम्भव है। किन्तु भण्डारण क्षमता सृजित करनी होगी। गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करने में वितरण चुनौतीपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर गरीब का पेट भरना सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

योजना, अक्टूबर 2010 पेज–23
योजना, अक्टूबर 2010 पेज–34
योजना, अक्टूबर 2010 पेज–25
कुरूक्षेत्र, अगस्त 2012 पेज–15
कुरूक्षेत्र, जुलाई 2015 पेज–29
योजना, अक्टूबर 2010 पेज 10
अमर उंजाला 6 मई 2019 पेज–11